न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या 304 / 2017 / 225 आरटीए

1. पेमा पत्नि पूर्णराम जाति मेघवाल निवासी खेदासरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. बालूराम पुत्र स्व. सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी जोड़किया तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. कीडूराम पुत्र स्व. सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी जोड़किया तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. जानकी पत्नि जोतराम जाति मेघवाल निवासी जोड़किया तहसील व जिला हनुमानगढ़।
5. भानीराम पुत्र सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी जोड़किया तहसील व जिला हनुमानगढ़।
6. सुमन पुत्री श्री साहबराम पत्नि कुंदनलाल जाति मेघवाल निवासी चक 7 एलएनपी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
7. माया पुत्री साहबराम पत्नि कुम्भाराम जाति मेघवाल निवासी निहालखेड़ा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का।
8. भाया उर्फ कौशल्या पुत्री साहबराम पत्नि कृष्ण जाति मेघवाल निवासी पंचकोसी तहसील अबोहर जिला फाजिल्का पंजाब।
9. डूगली पुत्री साहबराम पत्नि भागीरथ जाति मेघवाल निवासी हरदयालपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

––अपीलान्ट

–: बनाम :–

1. भागीरथ पुत्र गाजीराम जाति मेघवाल निवासी माणुका तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. ख्यालीराम पुत्र गाजीराम जाति मेघवाल निवासी भैरूसरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
3. ओमप्रकाश पुत्र गाजीराम जाति मेघवाल निवासी भैरूसरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
4. सुखराम पुत्र गाजीराम जाति मेघवाल निवासी भैरूसरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
5. रामकुमार पुत्र गाजीराम जाति मेघवाल निवासी भैरूसरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
6. संतो पुत्री स्व. गाजीराम पत्नि मोमनराम निवासी धर्मसिहवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
7. सरस्वती पुत्री स्व. गाजीराम पत्नि जगदीश जाति मेघवाल निवासी भारूखेड़ा तहसील डबवाली जिला सिरसा।
8. विद्या पुत्री स्व. गाजीराम पत्नि महावीर जाति मेघवाल निवासी भारूखेड़ा तहसील डबवाली जिला सिरसा।
9. तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़।

–– रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 31.05.2017 न्यायालय सहायक कलैक्टर हनुमानगढ़
प्र0सं0 282 / 2013 अनवानी भागीरथ आदि बनाम पेमा

उपस्थित :–
श्री ओमप्रकाश मोदी अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री बलविन्द्र सिंह अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 ता 8

निर्णय दिनांक –30.07.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि रेस्पो0 सं. 1 ता 8 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद प्रस्तुत कर इसके साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पेश किया तथा

वादग्रस्त भूमि के संबंध मे स्थगन आदेश चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सुने अभियान के दौरान दिनांक 20.09.2013 को जारी अन्तरिम आदेश को अपीलाधीन आदेश के जरिये ताफैसला वाद कन्फर्म कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि दावा की पत्रावली मे तारीख पेशी 12.04.17 को न्यायालय द्वारा आगामी पेशी 03.07.17 दी गई थी। दावा मे अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था कि दावा मे दर्ज प्रतिवादी सं. 4 जोतराम दावा दायरी से पूर्व फौत हो चुका है। दावा मृत व्यक्ति के विरूद्ध पेश किया है जो नलिटी है। उक्म प्रार्थना पत्र का जवाब अभी तक वादी ने पेश नही किया है। दावा की पत्रावली के साथ धारा 212 आरटीए की पत्रावली मे भी जवाब के लिए तारीख पेशी 03.07.17 दी गई थी। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटस को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही तथा तारीख पेशी से पहले राजस्व अभियान न्याय आपके द्वार कैम्प हिरणावाली मे दिनांक 31.05.17 को पत्रावली पेशी मे ली जाकर पत्रावली मे अपीलांटस के विरूद्ध निर्णय पारित कर दिया जो गलत व विधि विरूद्ध है। अपीलांटस को दिनांक 31.05.17 को उपस्थित होने बाबत कोई नोटिस नही दिया गया। अपीलांट के द्वारा वकील नियुक्त किया हुआ है। वकील साहब को बहस करने हेतु कोई अवसर नही दिया गया। नियत तारीख पेशी से पहले सुनवाई का अवसर दिये बिना निर्णय पारित किया गया है। विवादित प्रकरण का राजस्व अभियान प्रशासन आपके द्वार मे ली जाकर पक्षकारान को सुनवाई का अवसर दिये बिना निर्णय नही किया जा सकता। राजस्व अभियान मे केवल उन्ही प्रकरण का निर्णय किया जा सकता है जिसमे पक्षकारान ने राजीनामा पेश किया हो। विवादित प्रकरण का न्यायालय मे विधि अनुसार सुनवाई करके निर्णय किया जा सकता है। अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को लोक अदालत शिविर मे एकपक्षीय निर्णित नही किया जा सकता है। किसी भी पत्रावली का न्यायिक निस्तारण केवल न्यायालय परिसर मे ही किया जा सकता है, केवल राजीनामा व सहमति के आधार पर पत्रावलियों का निस्तारण न्यायालय के अतिरिक्त किसी कैम्प मे विधि अनुसार किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण मे तो अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत मे एकपक्षीय रूप से बिना सहमति होते हुए पत्रावली का निस्तारण कर दिया जो विधिसम्मत नही है। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस के अन्त मे कथन किया कि अपीलांट ने दिनांक 31.07.17 को अपने वकील साहब से प्रकरण मे आगामी तारीख पेशी का पता लगताया तो वकील साहब ने न्यायालय से पता करके बताया कि प्रार्थना पत्र 212 आरटीए का राजस्व अभियान मे दिनांक 31.05.17 को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही निर्णय कर दिया गया है। इससे पूर्व कोई जानकारी नही थी। अपीलांटस ने जानकारी से अन्दर मियाद अपील पेश की है जिसमे प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर

अपील प्रस्तुति मे हुई देरी को कन्डोन किया जाकर अपील ज्ञान से अन्दर मियाद मानी जावें। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे आरआरटी 2016–17 पेज 567 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुये कथन किया कि रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद प्रस्तुत कर घोषणा का अनुतोष चाहा गया तथा उक्त वादपत्र के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पेश कर वादग्रस्त भूमि के संबंध मे स्थगन आदेश बाबत अनुतोष चाहा गया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि अनुसार सही निर्णय पारित किया गया है जो सही है। प्रश्नगत भूमि रेस्पो0 के हक व हिस्सा की है इसलिये रेस्पो0 इसकी घोषणा की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रश्नगत भूमि पर रेस्पो0 का कब्जा नाजायज नही है बल्कि संयुक्त हिन्दू परिवार के मध्य हुए पारिवारिक समझौता के तहत प्रश्नगत भूमि पर कब्जा साधिकारपूर्ण प्राप्त हुआ है। ऐसी स्थिति मे रेस्पो0 अपीलांट के विरूद्ध अनुतोष स्वरूप स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश का स्थाई करने से किसी भी प्रकार को कोई नुकसान नही होना मानते हुए स्थगन आदेश को ताफैसला वाद कन्फर्म किया गया है जो विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं इस न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि रेस्पो0 सं. 1 ता 8 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि के संबंध मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20.09.2013 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी अन्तरिम आदेश पारित किया गया जिसे अपीलाधीन आदेश के जरिये लोक अदालत मे ताफैसला वाद कन्फर्म कर दिया गया। अपीलाधीन आदेश पारित होने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया तथा प्रार्थना पत्र बाबत कोई विवेचना की गई। जबकि आरआरटी 2016–17 पेज 567 न्यायिक दृष्टांत के अनुसार किसी भी पत्रावली का न्यायिक निस्तारण केवल न्यायालय परिसर मे ही किया जा सकता है, केवल राजीनामा व सहमति के आधार पर पत्रावलियों का निस्तारण न्यायालय के अतिरिक्त किसी कैम्प मे विधि अनुसार किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट मे निस्तारित किया गया है तथा एकपक्षीय रूप से बिना सहमति पत्रावली का निस्तारण कर दिया, जो किसी भी प्रकार से विधिसम्मत नही होने के कारण अपीलाधीन आदेश की पुष्टि की जाकर यथावत रखा जाना उचित नही है। ऐसी स्थिति

मे अपील अपीलांट स्वीकार की अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.05.17 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि दोनो पक्षो को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए मे पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.08.2018 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 30.07.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official